

Revenue Receipt

Set. XIV—F. No. 180V.

रसीद मालगुजारी ।

नाम तहसील । नाम मीजा मय

बाना को बाना नम्बर ।

वॉ १० नो प्रेस, बाना ।

कर मालकी/कर रसीद ।

नाम रसद मय बलिदयल जमाना को

को सकुनत । नम्बर ।

५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८

अराजी नगरी

अराजी भावली

तफसील हिसाब लगान भावली ।

६४४० कापी ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८ ५११५८

मोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया को हाल) मीजुदा साल का ।

2098-76	बाग बाबत	सालाना	बकाया				हाल
			तीन वर्ष से ज्यादा ।	२ वर्ष ।	२ रा वर्ष ।	१ रा वर्ष ।	
माल- (नगरी)		२४.०				१४०.०	२४
गुजारी (भावली)		१०				६०.०	१०
सेस ...		२०				१२०	२०
मसूदा ...		२०				१२०	२०
मुतकरकास ...		१०				६०.०	१०
मीजान		८४.०				४१०.०	८४

तफसील अदायकारी ।

2098-76	अदायकारी बाबत ।	बकाया				मोतानल हाल ।	कारिज
		तीन वर्ष से ज्यादा ।	२ रा वर्ष ।	२ रा वर्ष ।	१ रा वर्ष ।		
माल- (नगरी)					१४०.०	२४.०	
गुजारी (भावली)					६०	१०	
सेस ...					१२०	२०	
मसूदा ...					१२०	२०	
मुतकरकास ...					६०.०	१०	
मीजान अदायकारी					४१०.०	८४.०	

(१) मीजान कुल (लफजों से) — पाँच लाख पचास हजार

(२) नाम देहिन्दा —

(३) कुल बकाया — ५

कलकत्ता को तारीख जमाना तफसील हिसाब

मोतानल बकाया मालगुजारी कर विभाग को तारीख जमाना तफसील हिसाब

कापी हो) दूर नहीं किया जाता है ।

अंचल पदाधिकारी का कार्यालय

भू-स्वामित्व प्रमाण-पत्र

1424

10/11/18

नाम श्रीमती आशा देवी विता / पति श्री भगवान सिंह
 ग्राम अलकापुरी
 थाना जार्जीवाड़ा जिला पटना

ग्राम का नाम एवं थाना संख्या	सौजी संख्या	खाता संख्या	खेसरा संख्या	रकबा	
				एकड़	डि०
दानापुर २।		187	958	6440	
अं. अ. द. गा. ३ आवेदक के आवेदन पत्र को जांच कर आवेदक के नाम से मौजा दानापुर व्यापक जमाखत 187 खेसरा नं 958 रकबा 6440 वर्ग फीट आसक ही मौज कच को ही वर्ष 2009-10 तक जारी है जारी है है जो कागद मालिक पर जारी है प्रमाण प्रमाणित है प्रमाणित है					

आवेदक का हस्ताक्षर

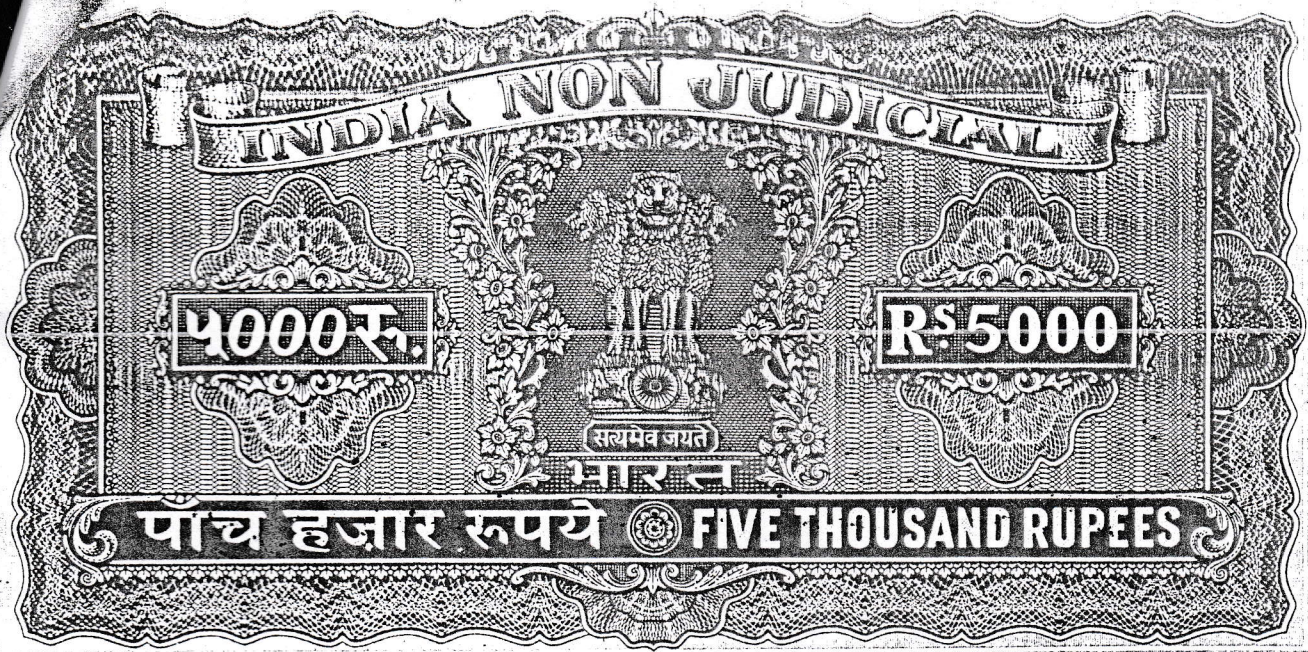
आशा देवी

कार्यालय का मुहर



कर्मचारी का प्रतिवेदन

अंचल पदाधिकारी का हस्ताक्षर



- 2 -

प्यारे सिंह निवास स्थान तकि्यापर दानापुर, धाना
दानापुर, जिला- पटना वजीरय वीशका मोखतार
नामा आम दिनांक 12.02.1998 ई० वीशका संख्या

बुक 4 नं०-33 सन् 1998 ई० निबंधन कार्यालय

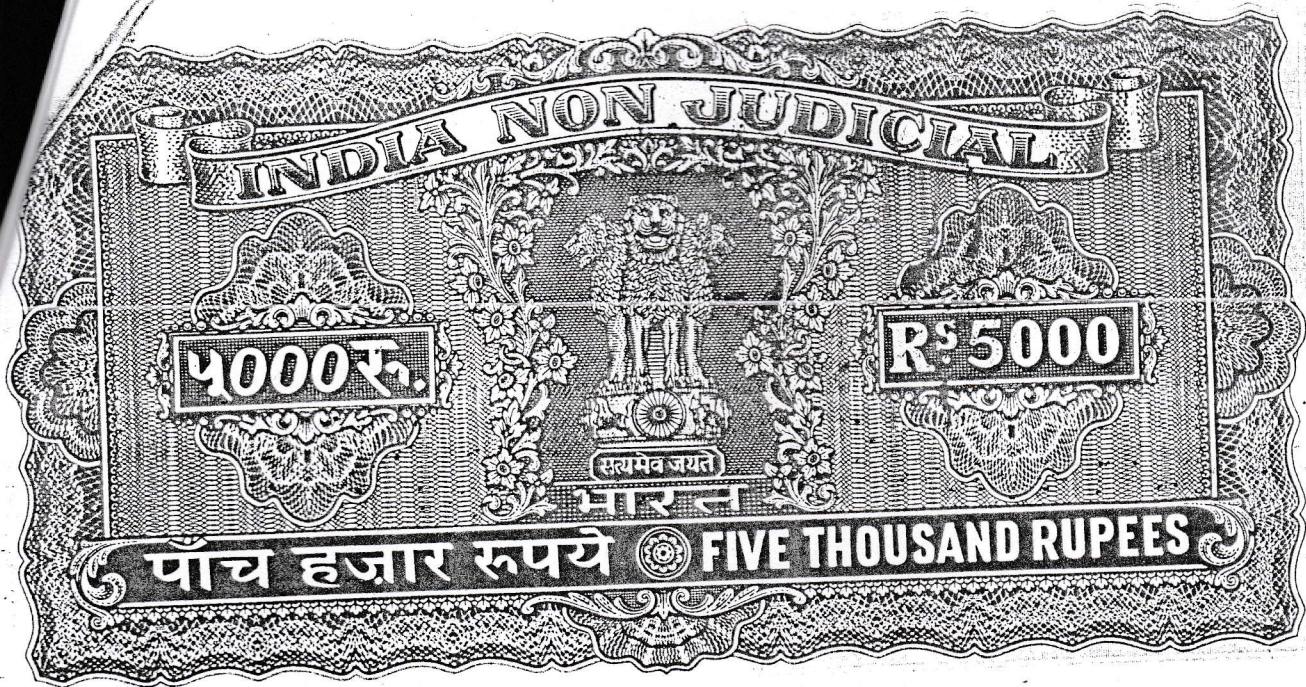
दानापुर द्वारा शक्ति प्रदत्त है । वो भी वहीसयत
मोखतार श्री रामानुज सिंह पिता का नाम स्वर्गीय
राम प्यारे सिंह वो श्रीमती रेखा रानी धर्मपत्नी
श्री जीतेन्द्र प्रसाद सिंह निवास स्थान-तकि्यापर

दानापुर, धाना- दानापुर, जिला- पटना
वजीरय वीशका मोखतार नामा आम दिनांक
19.3.98 ई० वीशका संख्या बुक 4 नं०- 50

सन् 1998 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर, द्वारा
शक्ति प्रदत्त है । ---

श्री
रामानुज सिंह
पिता का नाम
वो श्रीमती रेखा रानी
धर्मपत्नी
श्री जीतेन्द्र प्रसाद सिंह
निवास स्थान-तकि्यापर

श्री
रामानुज सिंह
पिता का नाम
वो श्रीमती रेखा रानी
धर्मपत्नी
श्री जीतेन्द्र प्रसाद सिंह
निवास स्थान-तकि्यापर
दानापुर, धाना- दानापुर, जिला- पटना
वजीरय वीशका मोखतार नामा आम दिनांक
19.3.98 ई० वीशका संख्या बुक 4 नं०- 50
सन् 1998 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर, द्वारा
शक्ति प्रदत्त है । ---



- 4 -

क्षेत्रीय विकास प्राधिकार वाले हैं । जिसकी

सौजी संख्या- 5399. १ पाँच हजार तीन सौ

निन्यानवे १ धाना संख्या-21. १ एकड़ १ खाता

संख्या-187 १ एक सौ सतासी १ सर्वे खसरा

संख्या- 958 १ नव सौ अठावन १, का अंश

भाग जिसकी सालाना लगान मो० 1.50 पैसा

अलावे शेष वंजमीन्दारी बिहार सरकार द्वारा

अंशलाधिकारी दानापुर, पटना । ---

26.11.11
10/11/11
10/11/11



- 5 -

चौहद्दी

माप

उत्तर :- सर्वे रास्ता ।

उत्तर :- 92 फीट 00 इंच

दक्षिण :- पार्सल लॉट नं०-958 श्री उमाशंकर सिंह ।

दक्षिण :- 92 फीट 00 इंच

पूरव :- सर्वे प्लॉट नं०- 958.

पूरव :- 70 फीट 00 इंच

पश्चिम :- 20 फीट चौड़ा रास्ता ।

पश्चिम :- 70 फीट 00 इंच

48/108/958
21.11.98

यह कि उपरोक्त सम्पत्ति की बिक्री हेतु

लेख्यकारी ने शहरी सम्पत्ति भूमि हदबन्दी अधिनियम

1976 की धारा-26(1) के अन्तर्गत सक्षम पदाधिकारी

पटना के समक्ष दिनांक 21.8.98 ई० को विहित प्रपत्र

पर सूचना दाखिल किये है। जिसका क्रमांक 5130 तन्

1998 ई० है। जिसमें साठ दिनों से अधिक की अवधि



- 6 -

समाप्त हो चुकी है और आज तक सरकार द्वारा उक्त सम्पत्ति को अधिग्रहण का कोई प्रस्ताव नहीं हुआ है ।

जिसके फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा-26(1) के अनुसार स्पष्ट है कि लेख्यकारी द्वारा सम्पत्ति को विपरीत करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है ।

“संदर्भ”

हीन्यत यह है कि उपराक्त खसरा नं०-१५८ मवाजी

§12-- $\frac{1}{2}$ --डीका § साढ़े बारह डिस्मल जमीन की खरीदारी मूल लेख्यकारी नं०-1

श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह ने एवं §12-- $\frac{1}{2}$ --डीका § साढ़े बारह डिस्मल जमीन की

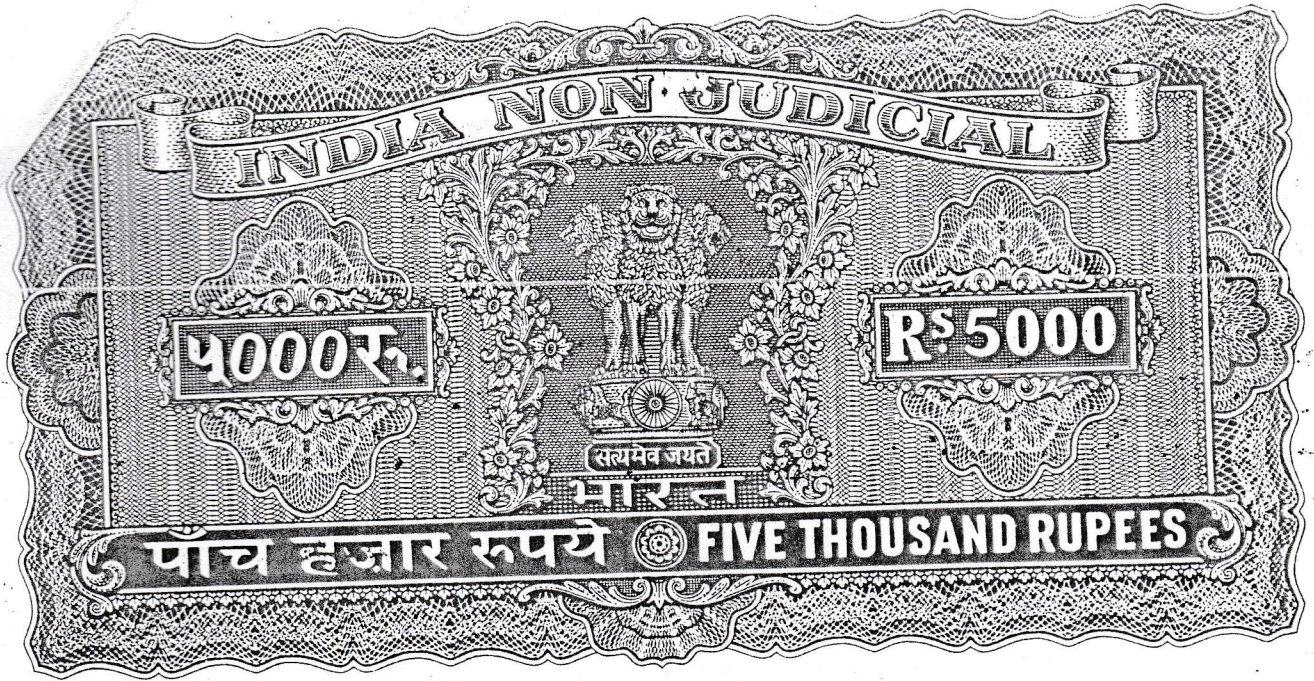
खरीदारी मूल लेख्यकारी नं०-2 श्री रामानुज सिंह ने अपने अपने खास अर्जित

आय से वर्जिय अलग अलग कितना वीश्का केवाला बयला कलामी सररा

दिनांक 17.4.1982 ई०को नीचेसे श्री राम प्रसाद सिंह पिता का नाम

श्री बद्री सिंह वो श्री सुनील कुमार सिंह पिता का नाम श्री राम प्रसाद सिंह

सि. ११.११.८२
२८३१
२८३१
२८३१



- 7 -

निवासी दलदरी रोड दानापुर, धाना-दानापुर, जिला-पटना से बय

खरीद किया था जिसके प्रथम वीशका बिक्री पत्र बनाम मूल लेख्यकारी नं०-1

का पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-36 पृष्ठ संख्या-464 से 466 निबंधन संख्या

1932 सन् 1982 ई० एवं द्वितीय वीशका बिक्री पत्र बनाम मूल लेख्यकारी

नं०-2 का पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-41 पृष्ठ संख्या-333 से 335 वीशका

संख्या-2261 सन् 1982 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर वाले है। वो पुनः मूल

लेख्यकारी नं०-3 के पिता श्री राम प्यारे सिंह ने उक्त खसरा नं०-958 में

मवाजी & 12-1/2-300 साटे बोरह जिसमल जमीन की खरीदारी नावस्ते उक्त

श्री राम प्रसाद सिंह बोरह से दिनांक 18.4.82 ई० को किये थे। जिसका

पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-36 पृष्ठ संख्या-458 से 460 वीशका संख्या-1930

सन् 1982 ई० निबंधन कार्यालय दानापुर वाले है वो तारीख खरीदारी के दिन

से लेकर अपने जीवन काल तक उक्त श्री राम प्यारे सिंह खुद अपने कृय को गई

जमीन पर काविज दीखल रहकर अपने एक मात्र पुत्र श्री रामानुज सिंह को अपना

वारिस जायज छोड़कर स्वर्गवास कर गये। वो पुनः मूल लेख्यकारिणी नं०-4

संख्या 11.11.1982



- 8 -

श्रीमती रेखा रानी ने उक्त सर्वे खसरा संख्या-958 में मवाजी १12- $\frac{1}{2}$ -130 सादे

बारह डिंसमल जमीन की खरीदारी निवस्ते श्री राम प्रसादीसिंह से किया था।

जिसका पुस्तक संख्या-1 जिल्द संख्या-36 पृष्ठ संख्या-462 से 463 वींशका संख्या

1931 सन् 1982 ई0निबंधन कार्यालय दानापुर वाके है। इस प्रकार सभी मूल लेख्य-

कारीगण उपरोक्त सर्वे खसरा नं0- 958 में कुल १50 130 १ पचास डिंसमल जमीन की खरीदारी करके वाहस्ते से बराबर बराबर सम्पति के स्वामी वो हकदार वो

दखलकार होकर वो रहकर तथा सम्पति सम्बन्धी व्यवस्था करके सम्पति को अपने

उपयोग वो उपभोग में लाते रहे है वो है। वो मूल लेख्यकारीगण का नाम वाँसीरिस्

ता बिहार सरकार के जमीन्दारी विभाग के जमाबन्दो रयत संख्या क्रमशः 2185

वो 2184 वो 2187 सन् 1996-97 ई0 में दर्ज पाया गया है । ----

यह कि वर्तमान लेख्यकारी श्री रत्नेश कुमार शर्मा बेट मोखतार

मूल लेख्यकारीगण के है। जिन्हें उपरोक्त सम्पति को बिक्री करने का निर्देश मूल

लेख्यकारीगण से प्राप्त है। जिसके आधार पर लेख्यकारी ने सम्पूर्ण सराजी को छोटे-

छोटे भूखण्डों में विभाजित करके सम्पति को अवांसिय स्व-प्रदान करके विभिन्न

श्रीमती रेखा रानी
11/11/97
11/11/97



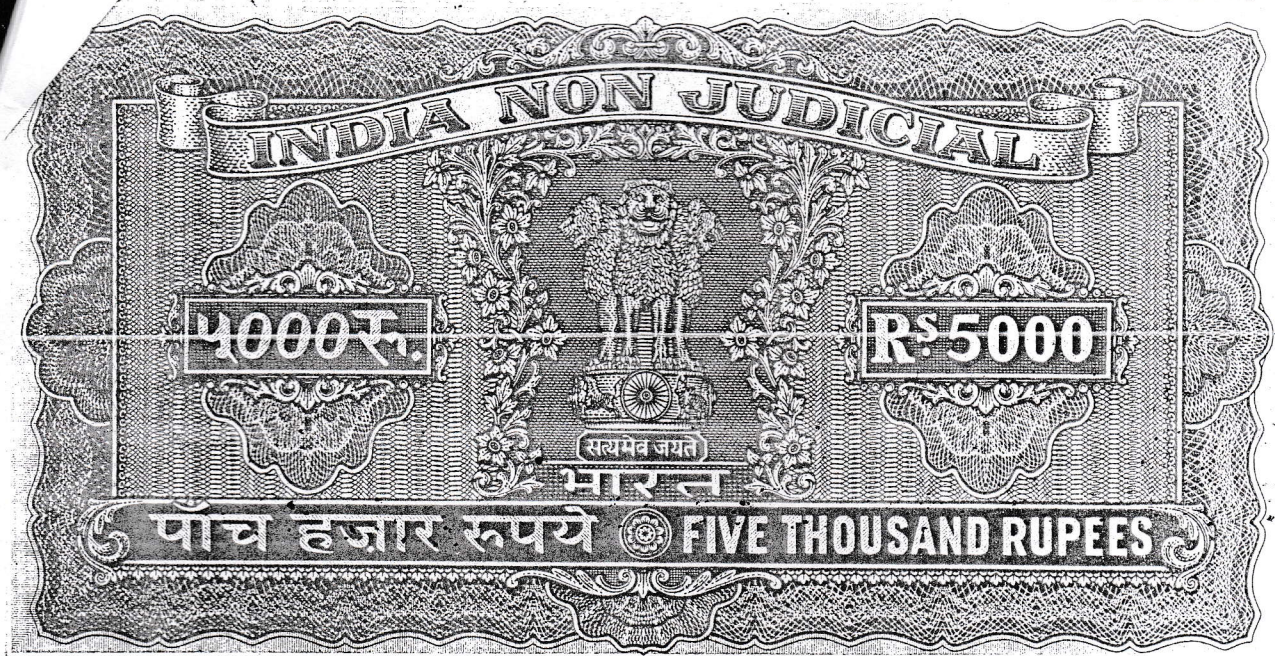
- 9 -

क्रेताओं को बिक्री किया। इसी क्रम में इस बिक्रय- पत्र का निष्पादन किया जा रहा है ।

मूल लेख्यकारीगण को तत्काल खरीदने अन्य फायदेमंद सम्पत्ति के लिये रूप्यों की अत्यन्त आवश्यकता है और जब तक खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री मूल लेख्यकारीगण नहीं करते है तब तक रूप्यों का शीघ्र प्रबंध करना मूल लेख्यकारीगण के वास्ते वर्तमान आय से प्रायः मुश्किल है । ---

अतएव मूल लेख्यकारीगण ने बहोतयत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो स्वामी वो हकदार वो दखलकार होकर वो रहकर अपने तन मन की स्वरचरणा में अपने शुभ चिन्तकों एवं कानूनी सलाहकारों से परामर्श इत्यादि लेकर बिना किसी बाहरी दबाव वो डराव वो धमकाव के अपने समस्त ज्ञानोन्ध्रों के साथ खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति को समयानुसार उचित तूल्य मूल्य मो० 2,35,000/- दो लाख, पैंतीस हजार रुपये मात्र में लेख्यधारिणी खाने नं०-2 के हाथ बेचा वो बेयला कलामी किया वो लेख्य निष्पादन का सहर्ष स्वीकार किया । ---

मूल्य के कुल रूप्यों को मूल लेख्यकारीगण ने इस वीशका पर हस्ताक्षर करने के पूर्व खरीदार पक्ष से वसूल वो देवाक पा चुके है । ---



- 10 -

खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति में जितना भी हक वो दाख

कब्जा आज तक मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण को प्राप्त था या

भविष्य में प्राप्त होता रहता वह सब कुल हक वो दाख कब्जा आज के दिन के पत्र

के कुल स्पर्शों के बदले हस्तांतरित होकर खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण

को प्राप्त हुआ वो भविष्य में प्राप्त होता रहेगा । खरीदार खाने नं०-5 में वर्णित

सम्पत्ति पर बहोसयत सम्पत्ति के मूल सर्वाधिकारी वो हकदार वो दाखकार मजकूर

वो रहकर जायदाद मजकूर को जिस प्रकार से चाहे अपने उपयोग वो उपयोग में लाये

वो नाम अपनी वजाय मूल लेख्यकारीगण के वीरिस्ता बिहार सरकार के जमींदारी

विभाग में इस बिक्रय- पत्र के माध्यम से नामांकित करा लेवें। उस वकत लेख्यकारी

पक्ष को किसी प्रकार का कोई उजूर वो स्तराज न है न कभी होगा वो यदि मूल

लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण किसी गलत बयान से किसी किसी के

दावा या उजूरदारी निस्वत सराजी मजकूर जेरे सम्मन मजकूर के करें तो, उनकी

उजूरदारी या दावा वमोकावले वसीका बिक्रय- पत्र के रद्द वो गे न कानूनी होगा वो

वो किसी भी अदालत में कानूनी कारवाई करने योग्य नहीं होगा ।

मूल्य लेख्यकारीगण & बिक्रेतागण ने लेख्यधारिणी & प्रेता

अ. ३
१०/११/९८
१०/११/९८



के सा। यह भी सत्यता प्रकट किये है और विश्वास दिलाये है कि खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के अधिकार संबंधी इंडेंट वो अणु भार सरकारी या गैर सरकारी है पूर्णतः मुक्त वो पाक साफ है वो आज तक मूल लेख्यकारीगण ने खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति को किसी अन्य के साथ किसी प्रकार का कोई हस्तांतरण नहीं किये है वो वहीं लिखे हैं। वो अगर खेलाफ किसी प्रकार का अधिकार संबंधी इंडेंट वो अणु भार सरकारी

वो गैर सरकारी खाने नं०-5 में वर्णित सम्पत्ति में पाया जाय या मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण के हस्तक्षेप के फलस्वरूप खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारी गण सम्पत्ति के अंश या कुल भू-भाग से वेदखली कर दिये जाये जिससे किसी किसम के कोई क्षीत खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण को हो तो वैसी हालत में खरीदार पक्ष या उनके उत्तराधिकारीगण अपने क्षीत पूर्ण वेकदर वेदखली या जो जो कण भार

उनको अदाय करना पड़े उसे मय सूद फिस्सद मो० १/- एक रुपया माहवारी के हिसाब

से मूल लेख्यकारीगण या उनके उत्तराधिकारीगण अन्यान्य चलाचल सम्पत्ति से कानूनी

कारवाई करके वसूल वो पैसाक कर लेवेंगे। उस वक्त छल लेख्यकारी पक्ष को किसी प्रकार

का उज्जर वो स्तराज न है न कभी होगा !

इस वास्ते यह वीशका निर्विवाद बिक्रय- पत्र यानि केवालाबयला
कैसमय पर काम आवै वो प्रमाण रहै । ॥ समाप्त ॥

18. वि आ इ उ ए ओ अ